कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर (वैशाली)

सूचना

नालसा, नई दिल्ली के पारा विधिक स्वयं सेवक योजना 2010 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर, वैशाली में पारा विधिक स्वयं सेवकों के मनोनयन हेतु विज्ञापन सं0–01/24 निकाला गया है। विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट **https://vaishali.dcourts.gov.in** पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर के सूचना पटट पर देखी जा सकती है। पूर्व के चयनित पारा विधिक स्वयं सेवकों की सेवा इस मनोनयन के पश्चात् स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा पूर्व के कार्यरत इच्छुक पारा विधिक स्वयं सेवकों को भी इस विज्ञापन के आलोक में आवेदन समर्पित करना अनिवार्य है। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक–15.02.2024 है तथा उक्त वर्णित तिथि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

Parlesh Kumar

अवर न्यायाधीश–सह–सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर (वैशाली)

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है।)

कौन आवेदन दे सकता है :–

ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरूष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रूचि रखतें हों तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हों, इनमें शिक्षक/शिक्षिका (सेवानिवृत भी आवेदन कर सकते हैं), सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर–सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो स्वयं सेवा में रूचि रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार ठीक समझें। जिन पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन पूर्व में किया गया था, वे भी पुनः आवेदन कर सकते है। उन्हें इस चयन में प्राथमिकता/वरीयता प्रदान की जायेगी।

पारा विधिक स्वयं सेवक का कार्य :–

पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौंपें।

पदों की संख्या :–

एक सौ (100)। चूँकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गांवों या गांवों के समूह में कार्य लेना हैं। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा।

आरक्षण :–

चूँकि पारा विधिक स्वयं सेवकों को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्त्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है, परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। यह पद एक वर्ष के लिए है।

01/

शैक्षणिक योग्यता :– मैट्रिक

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण–पत्र (स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति) लगाकर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से भेजें अथवा हाथों–हाथ जमा करें। आवेदन के साथ एक लिफाफा जिस पर 30/– रू0 का डाक टिकट लगा हो तथा आवेदक का नाम व पता लिखा हो, संलग्न करें।

आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि :– विज्ञापन की तिथि से पन्द्रह दिनों तक

आवेदन भेजने का पता :– **अवर न्यायाधीश–सह–सचिव,**
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर,
वैशाली, पिन–844101

मानदेय :–

मो0 500/– रू0 प्रति कार्य दिवस। परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा, जिस दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या स्वयं सेवक गाँव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए0डी0आर0 केन्द्र में ले जाते है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाते है।

सामान्य अनुदेश :–

1) आवेदक भारत का नागरिक हो।
2) स्वस्थ हो ।
3) अच्छा चरित्र हो।
4) समाज सेवा में रूचि रखता हो।
5) आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज न हो तथा पूर्व में किसी भी मुकदमा में दोषी न पाया गया हो।

21/01/2024

जिला एवं सत्र न्यायाधीश– सह–अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
हाजीपुर, वैशाली ।

विज्ञापन सं0--01 / 24

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर (वैशाली)
पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है, यह स्वैच्छिक सेवा है, वैतनिक पद नहीं है)

1. आवेदक का नामः–

2. पिता / पति का नाम :–

3. जन्म तिथि :–

4. मोबाइल नम्बर **(Whatsapp No.-)** :–

5. लिंग :– (महिला / पुरूष / ट्रांसजेंडर)

6. स्थायी पता :–...
   ....

7. वर्त्तमान पता :–...
   ....

8. शैक्षणिक योग्यता :–

9. अन्य योग्यता :–

10. पूर्व से पी0 एल0 भी0 के रूप में कार्यरत है अथवा नहीं :–

11. आवेदक की श्रेणी :– (सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)।

12. अनुभव :–

13. क्या आप किसी आपराधिक मामले में आरोपी / दोषसिद्ध हैं? (हां / नहीं)

14. जिले के किस प्रखंड में कार्य करना चाहते हैं ?

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए विवरण एवंत थ्य मेरी जानकारी में सत्य, पूर्ण एवं सही है। यदि आवेदन में दिए गए कोई भी विवरणी / तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो विधि के अंतर्गत उचित कार्रवाई एवं दण्ड के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊंगा / होऊंगी तथा पी.एल.वी. के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार की अयोग्यता होने पर या स्थिति / पद का दुरूपयोग करने पर पी.एल.वी. के रूप में मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।

तिथि

स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर